

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना
कार्यालय आदेश।

बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-3295 दिनांक-20-03-2017 के नियम 7 का उपनियम (6) तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही दिनांक-9-9-16 के द्वारा इन्टरमिडिएट उत्तीर्ण निम्नलिखित समूह 'घ' के कर्मियों को निम्न वर्गीय लिपिक के पद (वेतन बैंड 5200-20200+ग्रेड पे 1900) पर सशर्त औपबधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/संस्थान में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम एवं वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्री सुधीर कुमार झा, 45	औ० प्र० संस्थान, बेगूसराय	औ० प्र० संस्थान, मुगेर
2	श्री प्रसिद्ध कुमार ठाकुर, 66	औ० प्र० संस्थान, दरभंगा	औ० प्र० संस्थान, जमुई
3	श्रीमती जानकी कुमारी, 68	महिला औ० प्र० संस्थान, दीघा	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना
4	श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 71	औ० प्र० संस्थान, कटिहार	औ० प्र० संस्थान, हाजीपुर
5	श्री गोवर्द्धन सिंह, 75	औ० प्र० संस्थान, बक्सर	महिला औ० प्र० संस्थान, आरा
6	श्री सुनील कुमार सिन्हा, 78	औ० प्र० संस्थान, भागलपुर	औ० प्र० संस्थान, भागलपुर
7	श्री सुरेश कुमार सिंह, 80	औ० प्र० संस्थान, मधौरा	औ० प्र० संस्थान, समस्तीपुर
8	श्री गोपाल साह, 81	औ० प्र० संस्थान, बेगूसराय	औ० प्र० संस्थान, तारापुर
9	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, 82	औ० प्र० संस्थान, भागलपुर	औ० प्र० संस्थान, गया
10	श्री प्रेमचन्द सिंह, 87	औ० प्र० संस्थान, डेहरी	औ० प्र० संस्थान, शिवहर
11	श्री चन्द्रमोहन मिश्र, 96	औ० प्र० संस्थान, मुजफ्फरपुर	औ० प्र० संस्थान, बारसोई
12	श्री संजीत कुमार, 105	औ० प्र० संस्थान, हाजीपुर	औ० प्र० संस्थान, मोतिहारी
13	श्री राजकिशोर महतो, 111	औ० प्र० संस्थान, बेतिया	औ० प्र० संस्थान, जहानाबाद
14	श्री शिवशंकर चौधरी, 112	क्षेत्रीय निरीक्षी कार्यालय पटना	औ० प्र० संस्थान, बक्सर
15	श्री राजेश्वर प्रसाद, 119	औ० प्र० संस्थान, दीघा	औ० प्र० संस्थान, सीतामढी

2- संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संस्थान के प्रधान द्वारा प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों के अर्हता (इन्टरमिडिएट उत्तीर्ण) संबंधी मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा लिया जाएगा। सत्यापन के क्रम में त्रुटि पाये जाने पर उसकी जवाबदेही संबंधित कर्मि की होगी तथा दी गई प्रोन्नति रद्द कर दी जाएगी।

3- प्रोन्नति का अर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

4- यह सशर्त औपबधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस० एल० पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5- प्रोन्नत निम्नवर्गीय वर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरान्त अगली वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय।

ह०/-

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6) च०-168/2014-...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगामी असधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6) च०-168/2014-.....**1600**...../ पटना, दिनांक- **11.07.17**

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित सभी जिला कोषागार/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक परीक्षा, पटना/सभी प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान (महिला सहित)/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।